Witness no. ...–**01**–...for .....– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.1

the.....**03**.....day of ....– **अगस्त 2018**–....Witness's apparent age .....60.....

States on affirmation .... **शपथपूर्वक** ... My name is ... **–उमाशंकर सिंग–**

Son of .....–**––स्व. सूरज सिंग**–..... occupation .....–**––प्राइवेट नौकरी ––** ..

address .–**––हाल मुकाम– पटना, मुजफ्फपुर, बिहार ढाबा, ग्राम तरपोंगी थाना धरसीवां, जिला रायपुर (छ.ग.)। स्थाई निवासी– ग्राम कटहरी, थाना साठी, जिला बेतिया, बिहार––**.....

1. मैं हाजिर अदालत आरोपी को जानता हूं। आरोपी हमारे ग्राम तरपोंगी स्थित ढाबा के बगल वाले गांव सड्डू के निवासी हैं। मैं पटना मुजफ्फरपुर बिहार ढाबा, ग्राम तरपोंगी में विगत 10 वर्षो से वेटर के रूप में काम करता हूं।

2. दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2017 की दरमियानी रात की घटना हैं। रात करीब 1.30–2.00 बजा होगा। आरोपी भागवत वर्मा अपनी गाडी से सी.जी. 04 एच.एन. 1382 पीकअप वाहन से ढाबा में आया। आरोपी ढाबा आकर ढाबा में काम कर रहे मिस्त्री के पास गया और कहा कि स्पेशल खाना लगा दो। मिस्त्री पांच मिनट बाद आरोपी से पुछा कि क्या खाना लगाना है तब आरोपी ने कहा कि मादरचोदो अभी तक खाना नहीं लगाया जुते ही जुते मारूगां देखता हूं कल कैसे ढाबा खोलोगे। उसके बाद वह अपनी गाडी पीकअप में जाकर बैठ गया। मेरा सेठ बृज किशोर तिवारी जो सोया हुआ था हल्ला सुनकर उठा और आरोपी के पास गया और बोला कि खाना मे लेट हो गया है चलो दूसरा खाना लगवा देता हूं गाली गलौच मत करो, फैमली ढाबा हैं। उसके बाद आरोपी बृजकिशोर को मादरचोद गाली देकर धक्का मार दिया, जिससे बृजकिशोर गिर गया। उसके बाद आरोपी अपनी पीकअप गाडी को आगे बढाया और रिवर्स करके जमीन पर गिरे बृज किशोर के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद मैं और राज कुमार बृज किशोर को बचाने के लिए दौडें तो आरोपी ने मुझे भी धक्का मार दिया, उस समय आरोपी गाडी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके बाद फिर से आरोपी बृजकिशोर के उपर चढा दिया और गाडी लेकर भाग गया। बृज किशोर गाडी चढने से घायल हो गया उसके शरीर से खून निकल रहा था और छटपटा रहा था, उसे हम लोग बालाजी अस्पताल रायपुर ले गये।

3. भागवत वर्मा द्वारा मुझे धक्का दिये जाने के कारण मेरे बाऐ पैर में मोच आयी, जिसका पुलिस ने मुलाहिजा कराया। घटना की आवाज सुनकर बृजकिशोर तिवारी के परिवार के सदस्य

Witness no. ...–**01**–...for .....– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.2

दामाद आशीष तिवारी, बेटा निखिल तिवारी व भतीजा अभय तिवारी भी आ गये वे लोग वहीं ढाबा में रहते हैं। बालाजी अस्पताल में सुबह 4 बजे बृज किशोर की मृत्यु हो गयी।

4. मेरे द्वारा आरक्षी केन्द्र धरसीवां में जाकर घटना की जानकारी दी गयी थी। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी व विवरण के अनुसार पुलिस ने अकाल एवं आकस्मिक सूचना पंजी में बृज किशोर तिवारी की मृत्यु की सूचना को लेखबद्ध किया था जो **प्रदर्श पी 1** हैं, जिसके ए से ए भाग पर मेरा हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र धरसींवा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया था जो **प्रदर्श पी 2** है जिसके ए से ए भाग पर मेरा हस्ताक्षर हैं। आरक्षी केन्द्र पुलिस ने दिनांक 26.12.2017 को मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी 3** हैं, जिसके ए से ए भाग पर मेरा हस्ताक्षर हैं। पटवारी भी घटना स्थल पर आया था और मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का नक्शा बनाया था जो **प्रदर्श पी 4** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरा हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जतिन्दर सिंग सैंसरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

5. मैं बृज किशोर तिवारी के पटना मुजफ्फपुर बिहार ढाबा में 10 साल से काम कर रहा हूं जिसके कारण बृज किशोर तिवारी से अच्छे संबंध रहे है। साक्षी कहता है कि वो भी बिहार के है तथा मैं भी बिहार का हूं। हमें ढाबा 24 घंटे खुला रखने की परमिशन हैं। ढाबे को 24 घंटे खुला रखने के लिए परमिशन पुलिस ने दी हुई हैं।

6. आरोपी ने स्पेशल सब्जी का ऑर्डर दिया था सब्जी का नाम मैं नहीं बता सकता हूं। मेरा पुलिस ने बयान लिया था। यह सही है कि घटना समय बृज किशोर आरोपी की गाडी की स्टेरिंग को पकडे थे। स्वतः कहता है कि स्टेरिंग मे हाथ रखकर उसे मना रहे थे कि चलो खाना खा लों। मैनें पुलिस बयान में यह बता दिया था कि घटना समय बृजकिशोर सोया हुआ था वह हल्ला सुनकर उठा और आरोपी के पास जाकर बोला कि चलो दूसरा खाना लगवा देता हूं, मैं नहीं जानता कि उक्त बात मेरे पुलिस बयान **प्रदर्श डी 1** में कैसे नहीं लिखी हैं।

7. यह कहना गलत है कि बृजकिशोर आरोपी के पास जाकर उसे मां बहन की गालीयां देते हुये मारपीट करने लगा। मैं बृजकिशोर जमीन पर गिरा उस समय ढाबे की भट्ठी के पास ही खड़ा था। उक्त स्थान भट्ठी से 5–6 कदम की दूरी पर होगा। उस समय राम कुमार मेरे पास ही खड़ा था। जब बृजकिशोर गिर गया था तब उसे मैनें उठाने का प्रयास किया था। मेरे द्वारा गाडी बैक करते समय आरोपी को रोकने का प्रयास किया था। हम लोग सेठजी को उठाने का प्रयास कर रहें थे उसी समय आरोपी गाडी रिवर्स करके उनके ऊपर गाडी चढा दिया।

Witness no. ...–**01**–...for .....– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.3

8. यह कहना गलत है कि जब आरोपी ढाबा से जा रहा था तब मैनें और बृजकिशोर ने मिलकर आरोपी के साथ मारपीट किया था। यह कहना गलत है कि हम लोगो के मारपीट के डर से आरोपी ढाबा से तेजी से निकल जाना चाहता था। स्वतः कहा कि हम लोग मारपीट किये ही नहीं।

9. पुलिस ने मेरे बताये अनुसार नक्शा बनाया था। ढाबा और मुख्य मार्ग के बीच में काफी खाली जगह हैं। मैनें नक्श बनाते समय नक्शा बनाने वाले को यह नहीं बताया कि आरोपी का वाहन किस स्थान पर खड़ा था। स्वतः कहा कि मुझसे पूछे ही नहीं। मुझसे यह भी नहीं पूछे कि घटना के समय मैं और राम कुमार कहा पर खड़े थे। मैनें पुलिसवाले को नक्शा बनाते समय यह बताया था कि बृजकिशोर घटना के समय कहा पर गिरे थे। यह सही है कि नक्शा में घटना स्थल लिखा है पर यह नहीं लिखा है कि बृजकिशोर कहा पर गिरे थे।

10. जब आरोपी गाडी बैक कर रहा था तब बृजकिशोर के छाती, पेट मुंडी, पैर सभी हिस्से में गाडी चढ गयी थी। मैनें पुलिस को यह बताया था कि बृजकिशोर कहा पर गिरा था पर मैं प्रदर्श पी 3 के नक्शे में उस स्थान को नहीं बता सकता। पुलिस ने बयान के लिए मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था। बयान और रिपोर्ट थाने में हुआ था जहां हम लोग स्वंय गये थे। मेरा बयान पुलिसवाले उसी दिन लिखे थे। सुबह 6–7 बजे हम लोग धरसींवा थाना गये थे उसी समय बयान लिये थे। उस दिन क्रिसमस का त्यौहार था। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को हम लोग शराब पीये हुये थे।

11. यह कहना गलत है कि आरोपी हम लोग के साथ गाली गलौच नहीं किया था। यह कहना गलत है कि आरोपी को झूठा फंसाने के लिए आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं।

गवाह को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश,रायपुर
छत्तीसगढ़

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश,रायपुर
छत्तीसगढ़

साक्षी के हस्ताक्षर.....

Witness no. ...–**01**–...for .....– **अभियोजन साक्ष्य** –....Deposition Taken Sheet No.4

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करता हुँ कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नाम :– शांकी नागदेवे